बिल का सारांश

बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2017

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 24 जुलाई, 2017 को लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2017 को पेश किया। यह बिल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन करता है और इसमें स्ट्रेस्ड एसेट्स से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित करता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स वे लोन होते हैं जिनमें उधारकर्ता ने रीपेमेंट में डीफॉल्ट किया हो या जिनमें लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया हो (जैसे रीपेमेंट शेड्यूल को बदलना)। यह बिल बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का स्थान लेगा।
- **इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू करना:** लोन रीपेमेंट में डीफॉल्ट होने की स्थिति में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिकृत कर सकती है कि वह बैंकों को कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश जारी करे। यह कार्रवाई इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत की जाएगी।
- **स्ट्रेस्ड एसेट्स पर निर्देश जारी करना:** आरबीआई स्ट्रेस्ड एसेट्स से निपटने के लिए बैंकों को समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है।
- **बैंकों को सलाह देने के लिए कमिटी** : आरबीआई अथॉरिटीज या कमिटियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है कि वे स्ट्रेस्ड एसेट्स से निपटने के लिए बैंकों को सलाह दें। इन कमिटियों के सदस्यों की नियुक्ति या मंजूरी आरबीआई द्वारा की जाएगी।
- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लागू** : बिल में एक प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसमें कहा गया है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सबसिडिरीज और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

24 जुलाई, 2017